भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान/CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0) /TRACTOR NAGAR, BUDNI (M.P.) 466 445
Website:http://www.fmttibudni.gov.in Email:fmti-mp@nic.in Tel:07564-299003 GSTIN:23AAAGC0890H1ZS
AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE

दिनांक : 19.11.2024

ग्रेजुऐट अप्रेंटिसशिप योजनांतर्गत ग्रेजुऐट अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) की भर्ती सम्बंधी सूचना

ग्रेजुऐट अप्रेंटिस (स्नातक कृषि अभियांत्रिकी) हेतु कुल 06 स्थान की भर्ती प्रकिया प्रस्तावित हैं।

१. आवेदन पत्रों की छंटनी एवं चयन निम्न लिखित आधार पर है -

(क) सभी अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल https://nats.education.gov.in/ पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 31.12.2024 तक हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदन इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य नही होंगे।

(ख) अभ्यर्थी वर्ष 2022 में या उसके बाद उत्तीर्ण होने चाहिये। वर्ष 2021 में या उससे पहले उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नही हैं।

(ग) चयन के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से संस्थान में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। निम्नलिखित दस्तावेज भौतिक रूप से सत्यापित किये जाते है-

- १० वीं की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची और प्रमाण पत्र
- ग्रेजुयेशन डिग्री की अंक सूची /स्नातक डिग्री सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता संख्या तथा पासबुक
- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकृत पुष्टीकरण
- उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी
- हाल ही में ली गयी पासपोर्ट आकार की दो फोटो

(घ) यदि आप स्नातक उत्तीर्ण होने के उपरांत 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक खाली रहे हो, तो इस आशय का शपथ पत्र आपको नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं | शपथ पत्र मे यह भी दर्शना होगा की आपने स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी सरकारी /अर्धसरकारी /निजी प्रतिष्ठानों मे किसी तरह की सेवा या कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त नही किया हैं। शपथ पत्र के आभाव मे परीक्षा में उपस्थिती हेतु अनुमती नही दी जाएगी |

२. प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा के आधार पर किया जावेगा। परीक्षा में प्राप्तांक समान पाये जाने के स्थिती में चयन डिग्री के उत्तीर्ण होने के वर्ष की वरीयता पर तथा वर्ष भी समान होने पर स्नातक डिग्री परीक्षा की मेरिट / प्राप्तांक के आधार पर किया जावेगा।

३. उक्त रिक्त स्थानो के लिए आरक्षण प्रशिक्षु मण्डल के दिशा निर्देश अथवा प्रशुक्षिता नियम के अनुसार निर्धारित किया जावेगा |

४. **वृतिका की राशि**: वर्तमान में वृतिका रु. **9000**/- (रुपये नौ हजार मात्र) प्रति माह है।

५. अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर दिया गया उनका नाम, उनके पिता / अभिभावक का नाम और उनकी जन्मतिथि आधार कार्ड में दी गयी जानकारी के समान हो ।दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी लाना होगा ।

६. **सामान्य निर्देश :**

(क) अभ्यर्थियों के साथ कोई डाक पत्राचार नही किया जायेगा । पत्राचार दिये गये ई-मेल से किया जायेगा ।

(ख) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में भाग लेने के लिये, या प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल होने के लिये कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता नही दिया जायेगा।

(घ) यह सहभागिता और प्रशिक्षण, अप्रेंटिस अधिनियम १९६१ तथा अप्रेंटिसशिप नियम १९६२ के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करता है।

(ङ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण पूरा होने पर नियमित/ अस्थाई रोजगार प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है ।

(च) प्रशिक्षुओं को अपने आने जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(छ) यदि किसी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया तो प्रशिक्षुता अधिनियम १९६१ अप्रेंटिसशिप नियम १९७२ के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षुता को समाप्त किया जा सकता है।

(ज) प्रशिक्षण का माध्यम हिंदी / अंग्रेजी होगा। शिक्षण का माध्यम कुछ भी हो किंतु प्रशिक्षण के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी शब्दावली का उपयोग किया जायेगा।

(झ) आचरण और अनुशासन के सभी मामलों में प्रशिक्षु के.कृ.म.प्र.एवं प. संस्थान में प्रचलित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

(ञ) चयन प्रकिया मे किसी भी संसोधन का अधिकार संस्थान को हैं ।